

विचार

आखिर कौन सुनिश्चित करेगा त्वरित न्याय

सुप्रीमकोर्ट ने आधिकारिक तौर पर चल रही 'बुलडोजर संस्कृति' पर रोक लगा दी है। सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि राज्य 'शक्ति ही अधिकार है' के खुलेआम प्रदर्शन में लिम हैं। वे गतों-रात बेघर और बेसहारा हो चुके परिवारों के बारे में कुछ भी सोचे बिना ऐसा करते हैं। सुप्रीमकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि उचित प्रक्रिया अपनाएं बिना नागरिकों की संपत्ति को ध्वस्त करना कानून के नियमों के विपरीत है। जस्टिस बी.आर. गवईं और के.वी. विश्वनाथन की पीठने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं, जिनमें अनिवार्य नोटिस भी शामिल है, जिनका अधिकारियों को संपत्ति को ध्वस्त करने से पहले पालन करना होगा। 2022 में नागरिकता अधिनियम विरोधी प्रदर्शनों के दौरान इस प्रथा ने गति पकड़ी और तब से हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अक्सर दंगों के बाद इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। विनाश के पैमाने का अंदाजा लगाने के लिए, 2022 और 2023 के बीच, स्थानीय, राज्य और केंद्रीय अधिकारियों ने 1,53,820 घरों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें 7,38,438 लोग बेघर हो गए। न्यायालय ने इन विध्वंसों को चुनौती देने वाले कार्यकर्ताओं और पीड़ितों द्वारा लाई गई याचिकाओं की एक शृंखला को संबोधित किया। इसने इस प्रथा को अवैध घोषित किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया-

-उचित प्रक्रिया के बिना व्यक्तियों को दंडित करना 'कानूनविहीन स्थिति' बनाता है जहाँ 'शक्ति ही सही है।' कार्यकर्ता अधिकारी अभियुक्तों की संपत्ति को नष्ट करके उन्हें दंडित करने के लिए न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं कर सकते।

-आपराधिक न्याय शास्त्र यह मानता है कि जब तक दोष साबित न हो जाए, तब तक अभियुक्त निर्दोष है।

-घर को ध्वस्त करने से पूरा परिवार दंडित होता है। सामूहिक दंड का एक रूप जो असंवैधानिक है। सर्वोच्च न्यायालय ने उन कदमों को स्पष्ट किया है जो किसी भी अवैध संरचना को ध्वस्त करने से पहले अधिकारियों को उठाने चाहिए। उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित उपायों की शृंखला को रेखांकित किया गया है- सबसे पहले, किसी भी अवैध संरचना को ध्वस्त करने से पहले कम से कम 15 दिन की मोहल्त दी जानी चाहिए।

दूसरा, विध्वंस के लिए आधार स्पष्ट होने चाहिए, तथा नोटिस में विशिष्ट उल्लंघनों और विध्वंस के लिए कानूनी आधार का विवरण होना चाहिए। इसे संबोधित कलैक्टर और जिला मैजिस्ट्रेट के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए तीसरा अपील के अधिकार से संबोधित है, जिसके तहत आरोपी को व्यक्तिगत रूप से आदेश को चुनौती देने का मौका मिलना चाहिए।

